



कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

**AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS
EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY**
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण - पत्र
REGISTRATION-CUM-MEMBERSHIP CERTIFICATE

मै०/M/s. **SHREE SHANTMOHANAM PEANUTS,**
101-SHIVAM APARTMENT, B/H NAVKAR APARTMENT, AMIN
ROAD,
RAJKOT,
GUJARAT PIN : 360001

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह फर्म निम्नलिखित विवरणों के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में पंजीकृत है:

This is to certify that the firm is registered with the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority as per the following particulars:

1) उत्पाद जिसके लिए पंजीकृत है (उत्पादों का विवरण पीछे दिया गया है):

Products for which registered (details given overleaf):
MANUFACTURER : 0501, MERCHANT : 0501,

2) आई. ई कोड:

IE Code: **2413002812**

3) स्थापना तिथि:

Date of establishment: **01/06/2012**

4) पंजीकरण संख्या:

Registration No: **170696**

5) उत्पादक निर्यातक/व्यापारी निर्यातक:

Manufacturer Exporter/Merchant Exporter:

MANUFACTURER CUM MERCHANT

6) मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम:

Name(s) of Proprietor/Partner(s)/Director(s):

**VIJAYKUMAR MOHANLAL KALARIA, KARAN VIJAYKUMAR KALARIA, SANJAYKUMAR MOHANLAL KALARIA,
MOHANLAL BHIMJIBHAI KALARIA**

यह प्रमाण -पत्र एपीडा अधिनियम 1985 (1986 का अधिनियम संख्यांक 2) में निर्धारित शर्तों के अधीन जारी किया गया है।
This certificate is issued subject to the conditions laid down in APEDA Act 1985(No 2 of 1986) of this Authority.



★दिनांक/Date: **16/09/2013**
(DD-MM-YYYY)

This
Certificate is
valid till
15/09/2018

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Registering Authority

नाम/Name

विनीता सुधांशु

पदनाम/Designation

सहायक महाप्रबंधक
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण

मुहर/Seal

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

शर्तें एवं निबंधने अगले पृष्ठ पर

Terms & conditions are mentioned overleaf

01 पशु/कृषि एवं बीज/Floriculture & Seeds

- 01 पशु/कृषि/Floriculture
- 02 सब्जियों के बीज/Vegetables Seeds
- 03 जड़ी-बूटी एवं औषधीय पौधे/Herbal & Medicinal Plants

02 फल एवं सब्जियाँ/Fruits & Vegetables

- 01 ताजे प्याज/Fresh Onions
- 02 अन्य ताजी सब्जियाँ/Other Fresh Vegetables
- 03 अखरोट/Walnut
- 04 ताजे आम/Fresh Mangoes
- 05 ताजे अंगूर/Fresh Grapes
- 06 अन्य ताजे फल/Other Fresh Fruits

03 प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ/Processed Fruits & Vegetables

- 01 सूखी एवं परिरक्षित सब्जियाँ/ Dried & Preserved Vegetables
- 02 आम का गूदा/Mango Pulp
- 03 अचार एवं चटनी/Pickle & Chutney
- 04 अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ/Other Processed Fruits & Vegetables

04 पशु उत्पाद/Animal Products

- 01 भैंस का मांस/ Buffalo Meat
- 02 भेड़/बकरी का मांस/ Sheep/Goat Meat
- 03 कुक्कुट उत्पाद/ Poultry Products
- 04 डेरी उत्पाद/ Dairy Products
- 05 पशु आँतें/ Animal Casings
- 06 प्रसंस्कृत मांस/ Processed Meat
- 07 शहद/ Honey

05 अन्य प्रसंस्कृत खाद्य/Other Processed Foods

- 01 मूंगफली/ Groundnuts
- 02 ग्वार-गम/ Guar gum
- 03 गुड़ व कन्फेक्शनरी/ Jaggery & Confectionery
- 04 कोको उत्पाद/ Cocoa Products
- 05 अनाज से निर्मित उत्पाद/ Cereal Preparations
- 06 मादक एवं गैर मादक पेय/ Alcoholic & Non Alch. Bev.
- 07 विविध निर्मित उत्पाद/ Miscellaneous Preparations

06 अनाज/ Cereals

- 01 गैर बासमती चावल/ Non Basmati Rice
- 02 बासमती चावल/ Basmati Rice
- 03 गेहूँ /Wheat
- 04 अन्य मोटे अनाज/ Other Coarse Grains

शर्तें एवं निबंधने

- पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता तिथि इस प्रमाण-पत्र में निर्धारित है।
- प्रत्येक निर्यातक को ऑनलाइन मासिक निर्यात विवरण (रिटर्न) भरना अनिवार्य है। यदि किसी माह में निर्यात नहीं किया गया हो, तो शून्य रिटर्न भरना अनिवार्य है। जो निर्यातक ऑनलाइन निर्यात रिटर्न (रिटर्न शून्य होने पर भी) भरने में असमर्थ होंगे, वे डिफॉल्टर निर्यातकों की सूची में शामिल होंगे और उनका पंजीकरण रद्द होने की संभावना होगी।
- पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के पाँच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् यदि फर्म के निदेशक/साझेदार/मालिक अथवा फर्म का कोई कार्यकलाप, एपीडा या संबंधी कार्यालय जैसे वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड इत्यादि के प्रतिकूल नोटिस में आने पर, इस पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।
- पंजीकृत फर्म को दिया गया यूजर आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा, अपनी फर्म का विवरण जैसे फोन/फैक्स/ई-मेल इत्यादि एपीडा वेबसाइट में अपडेट कर सकते हैं।
- पंजीकृत फर्म से संबंधित नया पता/नई शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय अतिरिक्त कार्यालय/कारखाना इत्यादि में संशोधन हेतु संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
- पंजीकृत फर्म के निदेशकों में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस संशोधन हेतु फॉर्म न.32 की प्रतिलिपि संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी होगी।
- पंजीकृत फर्म के संविधान में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस परिवर्तन को निगमित करते हुए अंतर्नियम ज्ञापन की प्रतिलिपि संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी होगी। साझेदारों में परिवर्तन हेतु साझेदारी फर्म को नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित फर्म का साझेदारी विलेख संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी होगी।
- पंजीकृत फर्म के नए नाम को निगमित करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से परिवर्तित नाम को निगमित करते हुए प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी होगी।
- पंजीकरण प्रमाण-पत्र के खो जाने पर अनुलिपि प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए रु. 10/- के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर में शपथ-पत्र के साथ अनुरोध करना होगा। खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी। प्रमाण-पत्र के विकृत हो जाने/फट जाने पर मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्र को एपीडा में प्रस्तुत करना होगा।
- एपीडा के अनुसूचित उत्पादों को अपने पंजीकरण में जोड़ने एवं हटाने के लिए निर्यातक को अपनी फर्म के पत्रशीर्ष पर अनुरोध करना होगा, यदि निर्यातक, उत्पादक निर्यातक है तो उत्पादन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

Terms & Conditions

- The validity date of Registration Certificate is as specified in the RCMC.
- Filing of online monthly export return is mandatory.** In case of no export in any month, filing of nil return for the month is mandatory. The exporter who fails to file their online export return (even NIL returns) shall be liable to fall in the list of defaulter exporters and may face de-registration.
- Renewal fees will be charged after completion of five years from the date of registration with APEDA.
- The registration may be cancelled if any Director/Partner/Proprietor or the activity of the firm comes to the adverse notice of APEDA or concerned Govt. Authorities including, Ministry of Commerce, DGFT, Ministry of Finance, Central Board of Excise & Customs etc.
- Registered members may change the communication detail of the company such as phone/fax/e-mail on APEDA website using the user ID & password provided to them.
- For change in the communication address/addition of branches/factories, copy of amended IE Code is required.
- For change of director(s) of the company, copy of resolution passed on Form 32 by the members of the company alongwith amended copy of IE code is required.
- For change in the constitution of the Company, a copy of memorandum of Association & Articles of association incorporating the changes alongwith amended copy of IE code is required. Partnership firms should submit a copy of partnership deed attested by notary alongwith amended copy of IE code.
- For incorporating new name of the company certificate of incorporation of new name from Registrar of Companies along with amended copy of IE Code is required.
- For issue of duplicate certificate, request letter is required to be submitted alongwith affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs.10/-. In case of loss, a copy of FIR lodged in the Police Station is also required. Mutilated original RCMC is required to be surrendered.
- Request on letterhead from exporter is required for addition/deletion of APEDA's scheduled products alongwith manufacturing proof in case of manufacturer exporter.